कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 264 /12-1-(2) अल्मोड़ा, दिनांक - 28/07/ 2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड डीडीहाट में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 314/2018 के क्रम में डीडीहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 है0 वन पंचायत भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, अस्थाई प्रखण्ड डीडीहाट को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक 08वी/यू0सी0पी0/09/39/2023/एफ0सी0/86 दिनांक 28.04.2023 तथा आपका पत्रांक 167/12–1 दिनांक 13.07.2023 ।

महोदय,

भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावक विभाग के द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में यह कहते हुए कि प्रस्ताव हेतु चयनित भूमि में वृक्षों का कटान न होने, भूमि जिलाधिकारी पिथौरागढ द्वारा प्रस्तावित होने, पूर्व में चयनित भूमि नागरिक उड्ड्यन के अनुसार न होने, प्रस्तावित भूमि को उत्तराखण्ड नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण, देहरादून के विभागीय पायलटों द्वारा उपयुक्त पाये जाने के आधार पर Non-site specific नहीं माना गया है।

पुनः भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार ने हैलीपैड निर्माण को site specific site न मानते हुए इसके लिए गैर वानिकी भूमि चयनित किये जाने के सुझाव दिये थे। डीडीहाट तहसील में प्रस्तावक विभाग द्वारा ननपापो क्षेत्र के अन्यत्र कोई गैर वानिकी भूमि चयनित किये जाने के प्रयासों का उल्लेख नहीं है, जिससे क्या प्रयास किये गये इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ऐसे में प्रकरण को अग्रेसित किया जाना अपरिपक्व है।

अतः प्रस्ताव की सभी प्रतियां आपको मूल में इस आशय से लौटायी जाती है कि प्रस्तावक विभाग से भारत सरकार के पत्र–मंशा के अनुरूप कार्यवाही कराते हुए डीडीहाट तहसील अर्न्तगत सर्वेक्षण उपरान्त अन्यत्र कोई गैर वानिकी भूमि चयन कर अवगत कराएं।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा